

अभियन्ता सं० 2863 / प्र०आ (स०प्र०स०)

दिनांक 31/8/17

डापरी संख्या 3180

दिनांक 4/9/17 लखनऊ / क०के०सि०वि०

प्राधिकृत संख्या-196/2017-18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(आय-व्ययक अनुभाग)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्या- जी-411/आई०बी०/108बी-22ए/अनु०-94/पूँजीले०/आवंटन/2017-18,
कार्यालय ज्ञाप

लखनऊ: दिनांक: अगस्त 24, 2017

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या: 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजी लेखा के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-35/749/17-सत्ताईस-3-17वाद/16, दिनांक-18.08.2017 द्वारा लेखाशीर्षक 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित प्रथम अपील (डिफेक्टिव) सं०-352/2016 उ०प्र० सरकार व अन्य बनाम राधेश्याम में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक-15.11.2016 के अनुपालन हेतु रु 2,98,500.00 (रु दो लाख अट्ठाबे हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

उक्त प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनावंटन किये जाने हेतु निम्नानुसार धनराशि प्राधिकृत किया जाता है:-

(आकड़े रु में)

लेखाशीर्षक/उपशीर्षक/मद	अधिकारी का नाम	आवंटित धनराशि
अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
09-शारदा सहायक (वाणिज्यिक) 050-भूमि 10-नहरें 1016-भू-प्रतिकर 24-वृहत निर्माण कार्य	शारदा सहायक, लखनऊ।	2,98,500.00

(रु दो लाख अट्ठाबे हजार पांच सौ मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञाप एवं उपरोक्त शासनदेश दिनांक-18.08.2017 में अंकित नियमों/शर्तों के अधीन किया जाता है।

भूपेन्द्र शर्मा

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्या-जी-411/(1)/आई०बी०/तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उपरोक्त शासनादेश के कम में।
4. मुख्य अभियन्ता (मध्य) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण)/(अग्रिम नियोजन)/(सूचना प्रणाली संगठन), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
7. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
8. अधिशासी अभियन्ता (बजट), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
9. अधीक्षण अभियन्ता, अष्टदशम मण्डल, सिंचाई कार्य, इलाहाबाद।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, जौनपुर।
11. जिलाधिकारी, जौनपुर।
12. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (बजट)/श्री सुमेर, प्रधान सहायक (बजट) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. कट फाईल हेतु।

(राशिद रजि खा)

मुख्य अभियन्ता (बजट)

कृते प्रमुख अभियन्ता, सि०वि०।